न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 07 / 19 तारीख रजू:– 08.01.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. अम्बूराम पुत्र नत्था मीना निवासी मोनापुरा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
3. सरूपी पत्नि नत्था
4. सिंगारी पुत्री नत्था
5. किलाणी पुत्री नत्था
6. पानबाई पुत्री नत्था
7. गोला पुत्री नत्था
8. निरी पुत्री नत्था
9. बृजमोहन पुत्र नत्था
10. हरी पुत्र नत्था
11. प्रेमराज पुत्र नत्था
12. सुरेश पुत्र नत्था

समस्त 3 ता 12 जातियान मीना निवासी मौनापुरा तहसील टोडाभीम

प्रतिवादी गण

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक:– 17.09.19**

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोनापुरा स्थित आराजी ख0न0 138 / 0.07, 139 / 0.21 कुल किता 2 कुल रकवा 0.28 है0 मे वादी तथा प्रतिवादी न0 3 ता 12 बहिस्सा 1 / 3 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं ख0न0 18 / 0.15, 21 / 0.07, 30 / 0.12, 60 / 0.17, 67 / 0.33, 99 / 0.20, 143 / 0.18, 169 / 0.16, 170 / 0.14, 183 / 0.22, 184 / 0.23, 241 / 0.07, 242 / 0.06, 258 / 0.08, 285 / 0.09, 308 / 0.14, 309 / 0.10, 333 / 0.27 कुल किता 18 कुल रकवा 2.78 है0 तथा आराजी ख0न0 35 रकवा 0.11 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह व आराजी ख0न0 42 रकवा 0.05 है. गै0मु0 चाह मे वादी व प्रतिवादीगण न0 3 ता

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

12 का हिस्सा है। उक्त आराजीयात मुतजिका मद न0 2 ता 5 मे वादी का नाम अम्बूराम के स्थान पर रमेश अंकित हो गया है। जबकि सभी प्रतिवादीगण का नाम सही रिकार्ड दर्ज है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी न0 3 ता 12 को उनकी माता गुलवती पत्नि नत्था से मिली है। वादी व प्रतिवादी न0 4 ता 12 के पिता नत्था के दो पत्नियॉ थी जिनमे एक का नाम गुलवती तथा दूसरी का नाम सरूपी था। उक्त आराजी पूर्व मे गुलवती के नाम थी। गुलवती से उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी न0 3 ता 12 के नाम आने पर वादी का नाम अम्बूराम के स्थान पर रमेश दर्ज कर दिया है। वादी के समस्त दस्तावेजात तथा बच्चो के शेक्षणिक दस्तावेजात यथा मार्कशीट, आधार कार्ड, पत्नि के आई डी. कार्ड तथा वादी के स्वंय के राशनकार्ड, बैक की पास बुक मे वादी का नाम अम्बूराम है इसलिये रेवन्यू रिकार्ड मे रमेश पुत्र नत्था किया जाना न्याय संगत है। बॉका दिनांक 02.01.2019 को के. सी.सी. लोन की फाईल बनवाने पटवारी हल्का के पास अपना दस्तावेज लेकर गया तब पटवारी हल्का से पता चला। इस बावत रिकार्ड लेकर तहसीलदारजी से मिला तथा राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम रमेश पुत्र नत्था की जगह अम्बूराम पुत्र नत्था करने का निवेदन किया तो उन्होने नाम दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम मोनापुरा स्थित आराजी ख0न0 138/0.07, 139/0.21 कुल किता 2 कुल रकवा 0. 28 है0 मे वादी तथा प्रतिवादी न0 3 ता 12 बहिस्सा 1/3 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं ख0न0 18/0.15, 21/0.07, 30/0.12, 60/0.17, 67/0.33, 99/0.20, 143/0.18, 169/0.16, 170/0.14, 183/0.22, 184/0.23, 241/0. 07, 242/0.06, 258/0.08, 285/0.09, 308/0.14, 309/0.10, 333/0.27 कुल किता 18 कुल रकवा 2.78 है0 तथा आराजी ख0न0 35 रकवा 0.11 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह व आराजी ख0न0 42 रकवा 0.05 है. गै0मु0 चाह मे रमेश पुत्र नत्था के स्थान पर अम्बूराम पुत्र नत्था फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण घोषणा खातेदारी के साथ–साथ नाम दुरूस्ती का भी होने से तहसीलदार टोडाभीम से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट मे अंकित किया है कि विरासत के नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 1.2.1996 द्वारा रमेश नाम दर्ज हुआ है। नामांतकरण की सक्षम न्यायालय मे अपील दायर किया जाना वाजिब है।

वादी की और से सुरेश चन्द पुत्र नत्था राम एवं प्रेमराज पुत्र नत्था राम जाति मीना निवासीयान मौनापुरा तहसील टोडाभीम के शपथ पत्र प्रस्तुत किए। शपथ पत्रो मे अंकित किया है कि हमारे भाई का नाम अम्बूराम है राजस्व रिकार्ड मे रमेश नाम गलत दर्ज कर दिया है। अब राजस्व रिकार्ड मे रमेश के स्थान पर सही नाम अम्बूराम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

वादी वकील की बहस सुनी गई बहस मे कथन किया कि विरासत का नामांतकरण खोलते समय बोलता नाम रमेश दर्ज कर दिया जबकि सही नाम अम्बूराम है। रमेश और अम्बूराम अलग–अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत शहराकर के राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे अम्बूराम नाम दर्ज है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका मे जो कि वादी के पुत्र विशाल मीना के नाम से एवं पुत्री उपासना कुमारी के नाम से जारी है

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उसमे भी पिता का नाम अम्बूराम दर्ज है। इसलिए वादी का नाम रमेश के स्थान पर अम्बूराम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल शपथ पत्रो एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी के भाईयो सुरेश चन्द एवं प्रेमराज ने सही नाम अम्बूराम होने संबधी शपथ पत्र पेश किए है। ग्राम पंचायत शहराकर द्वारा राशनकार्ड संख्या 00424 मे अम्बूराम मीना पुत्र नत्था राम मीना के नाम से जारी किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका क्रमांक 0824141 व 0565318 मे पिता के नाम के रूप मे अम्बूराम दर्ज है। आधार कार्ड व भामाशाह कार्डो मे भी अम्बूराम नाम दर्ज है। इस प्रकार वादी का दावा डिक्री योग्य उचित पाता हूँ।

अत ग्रम मोनापुरा स्थित आराजी ख0न0 138/0.07, 139/0.21 कुल किता 2 कुल रकवा 0.28 है0 व ख0न0 18/0.15, 21/0.07, 30/0.12, 60/0.17, 67/0.33, 99/0.20, 143/0.18, 169/0.16, 170/0.14, 183/0.22, 184/0.23, 241/0.07, 242/0.06, 258/0.08, 285/0.09, 308/0.14, 309/0.10, 333/0. 27 कुल किता 18 कुल रकवा 2.78 है0 ख0न0 35/0.11, 42/0.05 किस्म गै0मु0 चाह की खातेदारी मे रमेश पुत्र नत्था के स्थान पर अम्बूराम पुत्र नत्था दर्ज करने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

निर्णय आज दिनांकः–17.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

17/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली